

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 19/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00020

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

अभियुक्त :-

श्री उपेश गुर्जर पुत्र श्री नारायणलाल गुर्जर
जाति गुर्जर मालिक विक्रेता मैसर्स श्री कृष्ण
दुध डेयरी गोरख इमली मस्जिद के पास,
पृथ्वीगंज, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा स्थायी
पता - मु. पो. निचला घंटाला जिला
बांसवाड़ा

बनाम

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

श्री उपेश गुर्जर पुत्र श्री नारायणलाल गुर्जर

**अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011**

निर्णय

दिनांक 08.07.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 02-06-2020 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 07-02-2020 को 04.00 पी.एम. बजे बाहसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स श्री कृष्ण दुध डेयरी गोरख इमली मस्जिद के पास, पृथ्वीगंज, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री उपेश गुर्जर पुत्र श्री नारायणलाल गुर्जर उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की डेयरी पर एक फ्रिजर में एल्युमिनियम की 3 केनो में करीबन 80 लीटर भैस का दुध आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर एक केन में आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये 35 लीटर भैस के दुध में से विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त भैस का दुध 2 लीटर साफ, सूखी एवं खाली स्टील की भगौनी में जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी किमत 80 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन-2019 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत नहीं किया। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा दो लीटर भैस के दुध को चार साफ, सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलो में भरकर फार्मलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर बोतल का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक 34 दिनांक 24. 02.2020 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 21 दिनांक 19.02. 2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया भैस का दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत एवं विक्रेता के पास मौके पर खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु किसी प्रकार का लायसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया चुकि दुकानदार छोटा विक्रेता है तथा मौके पर विक्रेता ने अपना वार्षिक टर्न ओवर 5 लाख रुपया होना बताया।

अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो विक्रेता के पास नहीं होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 58 अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।


प्रकरण दिनांक 03-06-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 08.07.2020 को अभियुक्त श्री उपेश गुर्जर पुत्र श्री नारायणलाल गुर्जर जाति गुर्जर मालिक विक्रेता मैसर्स श्री कृष्ण दुध डेयरी गोरख इमली मस्जिद के पास, पृथ्वीगंज, बॉसवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 34 दिनांक 24.02.2020 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 21 दिनांक 19.02.2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मैस का दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z.X) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Z.X) के तहत सबस्टैण्डर्ड किया गया मैस का दुध विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत एवं अधिनियम की धारा 31(2) के तहत खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। जो विक्रेता के पास नहीं होने से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन होने से उक्त अधिनियम की धारा 58 अन्तर्गत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री उपेश गुर्जर पुत्र श्री नारायणलाल गुर्जर जाति गुर्जर मालिक विक्रेता मैसर्स श्री कृष्ण दुध डेयरी गोरख इमली मस्जिद के पास, पृथ्वीगंज, बॉसवाडा को रुपये 10000/- (अक्षरे रु. दस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
बासवाडा (राज.)

